राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.2(2)वित्त(नियम)/2021 पार्ट — जयपुर, दिनांक 25 AUG 2023

**आदेश**

विषयः राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021 में खाताधारक को सेवानिवृति पश्चात जीपीएफ खाता चालू रखने का विकल्प दिए जाने के संबंध में।

राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधायी निधि नियम, 2021 के नियम 4(2) में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा सक्षम आदेशों से इन नियमों के नियम 4(1) में वर्णित खाताधारकों के अतिरिक्त अन्य कार्मिकों/पेंशनर्स को भी सम्मिलित किया जा सकता है। उक्त प्रावधान के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय किए जाते है :-

1. खाताधारक को सेवानिवृति पश्चात भी जी.पी.एफ. खाता चालू रखने का विकल्प होगा।
2. सेवानिवृति के पश्चात् खाता बन्द होने की स्थिति में खाता पुनर्जीवित किया जा सकेगा।
3. पेंशनर प्राप्त सकल मासिक पेंशन राशि में से अधिकतम 1/3 की सीमा तक जी.पी.एफ. खाते में कटौती करवा सकता है।
4. जमा राशि एवं अर्जित ब्याज पर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कर, यदि कोई हो, के भुगतान का उत्तरदायित्व संबंधित खाताधारक का होगा।
5. उक्त सुविधा पारिवारिक पेंशनर्स को प्राप्त नहीं होगी।

(रोहित गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
12. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
13. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
14. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

25/8/23
(एस.ज़ेड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(GPF 01 / 2023)